संख्या 2 /ग्रा0वि0अनु0/53(13)/2003

प्रेषक,

विभा पुरी दास
प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उत्तरांचल पौड़ी ।

ग्राम्य विकास अनुभागः देहरादूनः दिनांकः 28 अप्रैल,2004

बिषयः-ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन उत्तरांचल को मान्यता दिलाये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त बिषयक आपके पत्र संख्या 1510/4-2/स्था0/2003-04 दिनांक 15-9-2003 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय "ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन उत्तरांचल" को निम्नलिखित शर्तो के अधीन मान्यता प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(क) यह सेवा संघ के सदस्यों के सामान्य हित से सम्बन्धित किसी मामले के सिवाय किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन या शिष्ट-मण्डल नहीं भेजेगा ।

(ख) यह किसी सेवा सम्बन्धी मामले में अलग-अलग सरकारी सेवक के पक्ष नहीं लेगा या समर्थन नहीं करेगा ।

(ग) यह कोई राजनीतिक निधि नहीं रखेगाा या उसे किसी राजनीतिक दल के विचारों का प्रचार करने के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कोई योगदान नहीं करेगा ।

(घ) यह भारत में या अन्यत्र किसी विधायी निकाय के या किसी स्थानीय प्राविधकारी या निकाय के लिए किसी निर्वाचन में किसी उम्मीदवार द्वारा उपगत किसी व्यय के लिए कोई भुगतान या अंशदान नहीं करेगा ।

(ड.) यह ऐसे निर्वाचन के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्मीदवारी का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करेगा ।

(च) सेवा संघों द्वारा सभी अभ्यावेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत किये जायेगें और सामान्यतः वे सम्बद्ध विभाग या कर्यालय के सचिव या अध्यक्ष को सम्बोधित किये जायेगें

(छ) संघ की सदस्यता कार्यरत सरकारी कर्मचारियों (जिसके अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है) एक सुभिन्न प्रवर्ग तक सीमित और इसमें उस विशिष्ट प्रवर्ग की कुल सदस्य संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व हो ।

(ज) संघ किसी धर्म,मूलवंश, जाति या सम्प्रदाय के ऐसे धर्म, मूलवंश, जाति या सम्प्रदाय के भीतर किसी वर्ग या पंथ के आधार पर कार्य नहीं करेगा ।

(झ) संघ केवल एक मान्यता प्राप्त परिसंघ से ही सम्बद्ध रहेगा ।

(ञ) कोई ऐसा व्यक्ति, जो कार्यरत सरकारी सेवक न हो, संघ के कार्यकलापों से सम्बद्ध न हो ।

(ट) पदाधिकारी, जिसके अन्तर्गत संघ की कार्य समिति के सदस्य भी है, केवल उसके सदस्यों में से ही (सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छोड़ते हुए) नियुक्त किये जायेंगें ।

क्रमश....2...पर/

2. यदि उक्त संघ द्वारा उपरोक्त लिखित शर्तो एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी उत्त प्रदेश(सेवा संघ की मान्यता) नियमावली, 1979 के अन्तर्गत दी गयी शर्तो में से किसी एक अथवा एक से अधिक शर्तो का उल्लंघन करता है तो प्रशासनिक विभाग संघ को दी गयी मान्यता को वापस ले लेगा ।

3. यह आदेश पत्रावली पर कार्मिक विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीया,

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव ।

संख्या 791 /ग्रा0वि0अनु0/53(13)/2003 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-प्रान्तीय अध्यक्ष ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन उत्तरांचल देहरादून ।
2-आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल ।
3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
4-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल ।
5-समस्त पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल ।
6-कार्मिक विभाग उत्तरांचल शासन ।
7-सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो उत्तरांचल ।
8-गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
23/01/03.
(ममता कुमार)
अपर सचिव ।